न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान राजेन्द्र कुमार सुथार बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 300/2025
निर्णय दिनांक 04/08/2025

राजेन्द्र कुमार सुथार पुत्र मनफूल जाति जांगिड़ निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा ढाणा भाकरान पटवार हल्का गाजुवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 168 के खसरा सं. 550/237 तादादी 1.1507 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खसराजात भूमि के राजस्व रिकार्ड में इंतकाल के समय भूलवश गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्रकुमार पुत्र मनफूलराम दर्ज हो गया, जो गलत है, जिसका पता प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में से जमाबंदी निकलवाने पर हुआ। जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार सुथार पुत्र मनफूल है। प्रार्थी के नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक,पैनकार्ड आदि दस्तावेजाज में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार सुथार पुत्र मनफूल अंकित है जो प्रार्थी का सही नाम है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा ढाणा भाकरान पटवार हल्का गाजुवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 168 के खसरा सं. 550/237 तादादी 1.1507 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार सुथार पुत्र मनफूल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम राजेन्द्रकुमार पुत्र मनफूलराम व राजेन्द्र कुमार सुथार पुत्र मनफूल दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक,पैनकार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार सुथार पुत्र मनफूल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजेन्द्रकुमार पुत्र मनफूलराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा ढाणा भाकरान पटवार हल्का गाजुवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 168 के खसरा सं. 550/237 तादादी 1.1507 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम राजेन्द्रकुमार पुत्र मनफूलराम Delete कर इसके स्थान पर राजेन्द्र कुमार सुथार पुत्र मनफूल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/08/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)